राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4054/2010

ज्ञान विकास मिश्रा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर राजस्थान।
3. प्रधानाचार्य, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 29.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 27.07.1996 को व्याख्याता के रूप में हुई थी। अपीलार्थी ने सेवा के दौरान पीएचडी की उपाधि दिनांक 13.08.2001 को प्राप्त की, जिस कारण से अपीलार्थी को राजस्थान सरकार वित्त विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2001 की पालना में दो वेतन वृद्धियां दी गयी। अपीलार्थी को दी गयी वेतन वृद्धिया निरस्त कर अपीलार्थी से वसूली किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिस आदेश दिनांक 28.07.2003 (अनुलग्नक–2) को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह तथ्य प्रकट किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 13.08.2001 को पी.एच.डी. की उपाधि धारित करने के कारण प्राचार्य एस.बी.पी. राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के आदेश दिनांक 28.07.2003 के द्वारा अपीलार्थी का वेतन निर्धारण के आदेश से स्पष्ट होता है कि दिनांक 13.08.2001 को मूल वेतन 9375/– पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि रूपये 550/– जोड़कर रूपये 9925/– वेतन स्वीकृत किया गया तथा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत पर मूल वेतन 10000/– पर पुनः दो अग्रिम वेतन वृद्धि 650/– जोड़कर, 10650/– रूपये स्वीकृत किया गया था, जिसमें एक उपाधि पर दोहरा लाभ हुआ था जबकि वित्त विभाग के आई.डी. संख्या– 221000143 दिनांक 10.02.2010 द्वारा दी गयी राय के अनुसार एक उपाधि पर एक बार ही अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देय है जो

कि प्रथम बार 9375/– रूपये पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि 550/– जोड़कर 9925/– स्वीकृत कर दी गयी है। अतः वरिष्ठ वेतनमान में वित्त विभाग की राय के अनुसार दो अग्रिम वेतन वृद्धि दुबारा देय नहीं है। उपरोक्तानुसार ही अपीलार्थी को अधिक प्रदान की गयी राशि की नियमानुसार वसूली निकाली गयी है, जो कि अपीलार्थी द्वारा जमा करवायी गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिये गये जवाब से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को पूर्व में मूल वेतन 9375/– पर 2 अग्रिम वेतन वृद्धि रूपये 550/– जोडकर रूपये 9925/– वेतन स्वीकृत किया गया एवं उसके बाद पुनः वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत पर मूल वेतन 10000/– पर पुनः दो अग्रिम वेतन वृद्धि 650/– जोडकर 10650/– रूपये स्वीकृत किया गया था, जिसमें एक उपाधि पर दौहरा लाभ हुआ था। इस तथ्य को अपीलार्थी की ओर से गलत नहीं बताया गया है। इस प्रकार यह प्रकट हुआ है कि वरिष्ठ वेतनमान में वित्त विभाग की राय के अनुसार दो अग्रिम वेतन वृद्धि दुबारा देय नहीं है। उपरोक्तानुसार ही अपीलार्थी को अधिक वेतन वृद्धि देकर प्रदान की गयी राशि की नियमानुसार वसूली निकाली गयी है, जिसमें हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं।
5. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)